



राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302017

Ph.No.0141-2705935 Fax No.0141-2706510

Email : khadijpr@rajasthan.gov.in



क्रमांक :- रा.खा.ग्रा.बो./विपणन/2022-23/583

दिनांक:- 06/01/23

ई-बोली सूचना संख्या 14/2022-23

इस कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु खादी बोर्ड के द्वारा "डिजाइनर खादी परिधानों का सजीव माडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से ई-बोली आमंत्रित की जाती है बोली प्रपत्र www.eproc.raj.gov.in के माध्यम से जमा की अंतिम तिथि 17.01.2023 मध्याह्न 1:00 बजे तक है।

विस्तृत बोली प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय की वेबसाइट rajkhadi.rajasthan.gov.in अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल पर देखी एवं डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

UBN No - KVI2223SLRC00014

NIB Code - KVI2223A0014

सचिव

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)

सचिव

दिनांक :-

क्रमांक :- रा.खा.ग्रा.बो./विपणन/2022-23/

प्रतिलिपी :- निम्न को पालनार्थ।

1. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, को भेजकर लेख है कि <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट rajkhadi.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड कराकर प्रभारी (विपणन) को सूचित करे।
2. नोटिस बोर्ड खादी बोर्ड, उद्योग भवन, जवाहर कला केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय एवं संस्था संघ बजाज नगर पर चस्पा हेतु।
3. क्षेत्रीय एवं संभागीय कार्यालय पर चस्पा कर, बोर्ड कार्यालय को सूचित करे।



राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302017

Ph.No.0141-2705935 Fax No.0141-2706510

Email : khadijpr@rajasthan.gov.in



क्रमांक :- रा.खा.ग्रा.बो./विपणन/2022-23/ 582

दिनांक:- 06/01/23

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा डिजाइनर खादी परिधानों का सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) के कार्यों हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार बोली आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बिड सिक््योरिटी (रु.)	बिड प्रपत्र शुल्क (रु.) + मय 18 प्रतिशत जी.एस. टी	RISL प्रोसेसिंग शुल्क (रु.)
1.	डिजाइनर खादी परिधानों का सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) एवं अन्य कार्य व्यवस्थार्थ इत्यादि कार्यों हेतु।	15.00 लाख	30,000/-	1180/-	1000/-
ई-बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि व समय		06.01.2023			
प्री-बिड मीटिंग तिथि, समय व स्थान		11.01.2023 12:15 PM बोर्ड कार्यालय			
ई-बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय		17.01.2023, 01:00 PM तक			
बोली प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चेक भौतिक रूप से (Physically) बोर्ड कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय		17.01.2023, 01:00 PM तक			
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय		17.01.2023, 03:00 PM			

ई-बिड प्रपत्र वेबसाइट <https://www.SPPP.raj.gov.in>, एवं rajkhadi.rajasthan.gov.in डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.eproc.raj.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डी.डी./बैंकर्स चेक, जो डी.डी. अथवा बैंकर चेक, secretary, Rajasthan Khadi & Village Industries Board, (Payable at Jaipur) के नाम तथा प्रोसेसिंग शुल्क जो Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम देय हो, की स्कैन की हुई प्रति ई-बोली के साथ अपलोड करना एवं दिनांक 17.01.2023 को दोपहर 01.00 PM तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) जमा करना आवश्यक है।


सचिव

ई-टेन्डरिंग के लिए निविदादाताओं हेतु निर्देश :-

1. निविदादाताओं द्वारा बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. बोली में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इंटरनेट साइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीयन (Registration) करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (टाईप II या टाईप III) 'सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में हस्ताक्षर करने हेतु काम आएगा। निविदादाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर सहित नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुस्पष्ट स्कैन की हुई प्रतियां बिड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन संलग्न की जाएंगी।
4. कोई भी निविदादाता बिड को इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर की नहीं होगी। अतः निविदादाता उचित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।
5. ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
6. टेलीग्राम/ फेक्स/ ई-मेल/भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई बिड मान्य नहीं होगी।
7. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों एवं स्पेसिफिकेशन्स से भिन्नता (डेवीएशन) वाली बिड मान्य नहीं होगी।

बिड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा/बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. निविदादाता/करारकर्ता को भारत के करार एवं कर सम्बन्धी समस्त कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
3. प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

दिनांक २०/०५/२०२३
सचिव (राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर)
प्रहलाद सिंह नरुज्जा

(प्रहलाद सिंह नरुज्जा)
(सचिव/अधीक्षक)

- विश्व सुनिल च...
सर्वोच्च लेखाधिकारी (सावदा)

(प्रस्ताव विधि नमः)

क्र. सं.	शुल्क विवरण	राशि	भुगतान का प्रकार
1.	बोली प्रपत्र शुल्क	1000 + 180	डी.डी. अथवा बैंकर चेक, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
2.	बिड प्रतिभूति	30000 /	डी.डी. अथवा बैंकर चेक सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क	1000 /	डी.डी. अथवा बैंकर चेक, Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम

12. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेंगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
13. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-
14. बोली प्रपत्र शुल्क / बिड प्रतिभूति / ई-टेंडरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क के बैंकर्स चेक / डी.डी. की स्कैन की हुई प्रति। वित्तीय बिड (BOQ) की प्रति संलग्न नहीं करनी है। वित्तीय बिड को तकनीकी बिड में शामिल करने पर निविदादाता की निविदा बोली निरस्त कर दी जाएगी। दरें केवल वित्तीय बिड (BOQ) में प्रस्तुत करनी हैं जो ऑनलाईन BOQ में भरी जा सकेंगी। दरें केवल भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत की जानी हैं।
- (I) तकनीकी बोली प्रपत्र मय समस्त अनुलग्नक।
- (II) डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बोली की शर्तें (अपूर्ण भरे हुये टेण्डर-प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त कर दिये जायेंगे)।
- (III) आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की सुस्पष्ट प्रति।
- (IV) जीएसटी का अद्यतन भुगतान (क्लीयरेंस) एवं पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (V) Annexure-B के अनुसार फर्म राजस्थान राज्य एवं भारत सरकार एवं किसी राजकीय उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र (राशि रुपये ₹100 के स्टाम्प पेपर पर)।
- (VI) फर्म द्वारा प्रस्तुत दरो से कहीं अन्य संस्थाओं में कम दर पर फर्म द्वारा कार्य नहीं किया है, का शपथ पत्र लैटरहेड पर संलग्न करना होगा।
15. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।
16. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने बोली को रद्द करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को होगा।

वि. (नगरपालिका) (स.व.व.)
 जयपुर
 (प्रहलाद सिंह नरक्या)
 ल.खा.ध.का.प्रा.
 3

17. बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अथवा बोलीप्रपत्र में किसी शर्त या नियम या प्रावधान के अवर्णित पाए जाने की स्थिति में अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।
18. राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।
19. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) :
- बिड के साथ बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत की दर से प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जाये।
 - बिड प्रतिभूति का प्रतिदाय: असफल निविदादाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार कर सफल निविदादाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटायी जाएगी।
 - बिड प्रतिभूति से छूट उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति, जो विधिवत अनुप्रमाणित हो, प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य की 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी। रुग्ण उद्योगों की दशा में (एस. एस. आई. से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।
 - केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
20. बोली प्रतिभूति का समपहरण; बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:
- जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत उपान्तरित करता है।
 - जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
 - जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(प्रहलाद चन्द शर्मा)
जयपुर लेखाधिकारी (सचिव)
जयपुर

4
(प्रहलाद सिंह मकसूमा)

- IV. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- V. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध का भंग करता है।
21. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :
- I. सफल निविदादाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन या अवधि के भीतर सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के नाम देय डी. डी./बैंकर्स को द्वारा जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
 - II. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगम, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
 - III. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम 1 प्रतिशत और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIER) के समक्ष लम्बित है, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधियत अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 - IV. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
 - V. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - VI. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी।
 - I. ई.जी.आर.ए.एस. (E-govt Receipt Accounting System) के माध्यम से जमा।
 - II. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक।
 - III. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

प्रहलाद चन्द शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सचिव)
जयपुर

5
(प्रहलाद चन्द शर्मा)
सचिव

- IV. किसी अनुसूचित बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।
- V. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
- VI. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रख-रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे 90 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।
- VII. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो भुगतान के समय काट ली जायेगी।
- VIII. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:

- (1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

6

प्रहलाद सिंह नरुका

(प्रहलाद सिंह नरुका)

22. करार (Agreement) का निष्पादन :

- I. सफल निविदादाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के 03 दिवस की भीतर नियमानुसार अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल करार निष्पादित करना होगा।
 - II. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत/छायाप्रति को निःशुल्क दी जायेगी।
 - III. यदि निविदादाता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (07 दिवस के भीतर में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर सफल बालीदाता के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ऐसे में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।
23. भुगतान (Payment):— सफल निविदादाता/संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादित कर बिल 3 प्रतियों में मय आवश्यक दस्तावेज बोर्ड कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी विपणन/भौतिक सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार भुगतान जारी किया जायेगा।
24. जो निविदादाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय बिड वेबसाइट पर खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल/असफल निविदादाताओं को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।
25. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) के सम्बन्ध में Annexure-A के प्रावधान लागू होंगे।
26. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।
27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

निविदा
प्रदायक के द्वारा निविदा (प्रदायक)

7

(प्रहलाद सिंह नरुका)

अधीक्षक

28. (i) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।
(ii) प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, खादी बोर्ड जयपुर राजस्थान तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, MSME राज.सरकार हैं।
29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वितीय एवं लेखा नियम भाग-II राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तों/प्रावधान लागू होंगे।

सचिव
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पता.....

मोबाईल.....

आचार्य लेखाधिकारी (मुख्य)

8
(प्रहलाद सिंह नरुका)
लेखाधिकारी

विशेष सहायक लेखाधिकारी (मुख्य)
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

2

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

ई-निविदा सूचना संख्या :- 14/2022-23

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. निविदा कार्य का नाम :- डिजाईनर खादी परिधानों का सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) इत्यादि कार्यो हेतु तकनीकी प्रस्ताव :-

बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण

फर्म का नाम व पता.....

ई-मेल..... मोबाईल.....

क्र.स.	दस्तावेजो का विवरण	बिड के प्रस्तावो मे संलग्न पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रपत्र शुल्क मय जीएसटी :- 1000+ 180 रु जीएसटी की रसीद/ डी.डी. संख्या..... दिनांक.....	
2.	बिड प्रतिभूति का डी.डी.संख्या.....दिनांक.....	
3.	RISL का डी.डी.संख्या..... दिनांक..... Managing Director, RISL, Jaipur	
4.	बोलीदता का स्वामित्व का प्रकार (प्रोपराइटरशीप/पार्टनरशीप/कम्पनी)	
5.	निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति	
6.	निविदादाता फर्म का पेन कॉर्ड नंबर (PAN)	
7.	फर्म का गत दो वर्ष की वार्षिक 1.00 करोड रु टर्नओवर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे। वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-22	
8.	इंडिया फैशन वीक, एफ.डी.सी.आई (FDCI), लैक्मे (LAKME) के इवेंट के प्रमाण पत्र संलग्न	
9.	फर्म का पंजीयन WHO GMP Certified, MSME होने का	

बिड सलाहकार पद 1, मेधाधिकारी
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(गुलाब
आयक मेधाधिकारी (सावदा)

9
(गुलाब सिंह नरसिंह)
मेधाधिकारी

	पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे	
10.	राष्ट्रस्तरीय/राज्य स्तरीय आयोजित सरकारी, संस्थागत, बोर्ड निगम या प्राईवेट संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम इवेन्ट, कालेज शो, कारपोरेट कार्मेशियल/नान-कार्मेशियल इवेन्ट, सिलिब्रिटी इवेन्ट/प्रोडक्ट लांच शो/मूवी प्रमोशन इत्यादि के प्रमाण पत्र/कार्यादेश एवं फोटोग्राफ संलग्न करे (कम से कम तीन इवेन्ट के प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करे)	
11.	फर्म ब्लेक लिस्टेड नहीं है का शपथ - पत्र (Annexure-B)	
12.	फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य, दस्तावेज, कार्यादेश, प्रमाण पत्र इत्यादि के सही होने का शपथ - पत्र (Annexure-C)	
13.	फर्म का कार्य को सबलेट नहीं करने का शपथ - पत्र लैटरहेड पर	

- इस बोली के संबंध में बोली प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं। मैं/हम ऐसे कसों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम दिवालिया रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूंगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूंगा/रखेंगे औरन पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।
- मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करे।
- मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

दिनांक :-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

.....

मोबाइल :-

(गुलाब
न्यायिक निवाधिकार)

10
(प्रहलाद सिंह नरुणा)
(न्यायिक निवाधिकार)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

ई-निविदा सूचना संख्या 14/2022-23

वित्तीय बोली प्रपत्र

1. निविदा कार्य का नाम :- डिजाईनर खादी परिधानों का सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) इत्यादि कार्यो हेतु।

फर्म का नाम एवं पता :-

क्र. स.	कार्य विवरण	दर (सभी प्रकार के करों सहित)
1.	सजीव मॉडल्स पर डिजाईनयुक्त खादी परिधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो)	दरे यहाँ नहीं भरनी है पृथक से BOQ में देनी है।

नोट :- न्यूनतम मॉडल्स की संख्या 20

- उक्त कार्य हेतु निविदा के साथ निविदा अमानत राशि रु. 30,000 (अक्षरे तीस हजार रुपये) का ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद नम्बर दिनांक संलग्न है एवं सफल निविदादाता के द्वारा 3 दिवस में करार पत्र एवं निविदा राशि के अनुरूप प्रतिभूति राशि 2.5 प्रतिशत निविदा की राशि के अनुरूप का ड्राफ्ट/नकद जमा करवाना होगा।
- निविदा से संबंधित संलग्न शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, हमें सभी शर्तें मान्य हैं।
- फैशन शो एवं अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त कार्यो की एक मुश्त उक्त दरों में सभी प्रकार के किराया शुल्क/चूंगी/सेवाकर/GST व अन्य सभी प्रकार के कर सम्मिलित है। अलग से कुछ भी देय नहीं होगा।
- डिमांड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
- निविदा शुल्क रसीद/डी.डी. संख्या दिनांक राशि की संलग्न है।

नोट :- डिजाईनर खादी परिधानों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन की विशिष्ट शर्तें संख्या 01 से 20 का, मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम
पूर्ण पता
दूरभाष/मोबाईल नं.

सजीव मॉडल्स पर डिजाईनयुक्त खादी परिधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो)

11
(प्रहलाद सिंह नरुका)
अध्यक्ष

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
डिजाईनर खादी परिधानों का सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन (फैशन शो) हेतु
विशिष्ट शर्तें

(ई-निविदा सूचना को निविदादाता के द्वारा निविदा भरते समय सामान्य शर्तों सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए और अपनी स्वीकृति के लिये प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके निविदा के साथ संलग्न करना चाहिए।)

1. डिजाईनर खादी परिधानों के सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन हेतु स्थल बुकिंग, सचिव, खादी बोर्ड के निर्देशानुसार सफल निविदादाता फर्म के द्वारा किया जावेगा।
2. सफल निविदादाता फर्म के द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन (खादी शो), स्टेज, लाईटिंग, साउण्ड सिस्टम, क्राउड मैनेजमेन्ट, हॉर्डिंग, बैनर, बैकड्रॉप, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया प्रचार प्रसार, मीडिया मैनेजमेन्ट, स्टेशनरी, आमंत्रण-पत्र, आतिथ्य सत्कार, मोमेन्टो, अल्पाहार/जलपान इत्यादि कार्य व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
3. कताई के प्रत्यक्ष प्रदर्शन हेतु परम्परागत, धनताडिया एवं अम्बर चरखा मय कच्चा माल एवं दो कतिन की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी।
4. स्टेज के साथ, रैम्प, ग्रीनरूम, मैकअप रूम, कोरियोग्राफर, एंकर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
5. अन्य व्यवस्था यथा एल.ई.डी वाल सेन्टर, साइड एल.ई.डी वाल, ट्रस, पोजियम, लैम्प, पी.ए. सिस्टम, वी.जे (विजअल कार्य हेतु) डी.जे. (साउन्ड हेतु), गेल-फीमेल मॉडल्स, कन्सोल, मीडिया रेईजर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यू ट्यूब लिंक, पोस्टर/पैम्पलेट, हॉर्डिंग-बैनर-फ्लैक्स एवं अन्य विविध खर्च इत्यादि की व्यवस्था सफल निविदादाता फर्म द्वारा किया जावेगा।
6. खादी परिधानों के सजीव मॉडल्स पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन हेतु फैशन डिजाईनर की मांग अनुसार कपडे बोर्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जावेगे एवं सिलाई संबंधी व्यय सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
7. इवेन्ट से संबंधित अन्य समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
8. इन्वीटेशन कॉर्ड बोलीदाता द्वारा अनुमोदित डिजाईन नमूने के अनुसार तैयार करवाकर वितरण करवाने होंगे,
9. प्रवेशद्वार पर खादी की एक स्टॉल 20x10 साइज, तीन तरफ से कवर, मय आवश्यक टेबिल, रैक, कुर्सी, फिल इत्यादि के साथ तैयार करनी होगी।
10. प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा स्वयं करनी होगी।
11. अनुमोदित दर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय, बोर्ड द्वारा देय नहीं होगा।
12. फैशन शो के आयोजन की नियत तिथि से सफल बोलीदाता को यथासमय सूचित कर दिया जावेगा।
13. कार्यक्रम के जनदायित्व, सुरक्षा हेतु बीमा करवाना अनिवार्य है।
14. बोलीदाता द्वारा राष्ट्रस्तरीय, राज्य स्तरीय, सरकारी, संस्थागत, बोर्ड/निगम/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष प्रदर्शन से संबंधित कार्यक्रम एवं इवेन्ट में भाग लेने का कार्यादेश, सफल संचालन एवं क्रियान्वयन का प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. उक्त आयोजन हेतु ली जाने वाली समस्त स्वीकृतियाँ बोलीदाता को स्वयं के स्तर से लेनी होगी एवं राजकीय शुल्क, कर/जीएसटी/टीडीएस इत्यादि का भुगतान की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की होगी।
16. सफल बोलीदाता फर्म को निर्धारित प्रपत्र में करार पत्र 3 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।
17. सभी कार्यक्रम की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य होगा और बिल भुगतान के समय फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी साथ में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. इंडिया फैशन वीक, एफ.डी.सी.आई (FDCI), लैक्मे (LAKME) के इवेन्ट के प्रमाण पत्र, कार्यादेश, एवं फोटोग्राफ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
19. फैशन शो का समस्त कार्यक्रम कन्सलटेंट एण्ड फैसिलिटैटर, खादी बोर्ड एवं प्रभारी अधिकारी (विपणन) खादी बोर्ड के निर्देशन में करना होगा।
20. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय सचिव, खादी बोर्ड का होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम
पूर्ण पता
दूरभाष/मोबाईल नं.

(संलग्न पत्र में)
प्रमाणित (सहायक)

12
(प्रहलाद सिंह नरसिंह)

सचिव खादी बोर्ड
राजस्थान

निविदादाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/- के स्टाम्प पेपर पर)

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे हमारे द्वारा दी गई सूचना तथ्य, प्रमाण—पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

नाम _____
पूर्ण पता _____
मोहर _____
दूरभाष / मोबाईल नं. _____

(गुलाब दल)

13
(प्रहलाद सिंह गरुडा)
अध्यापक

Annexure-C

निविदादाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों के आयोजनों के संबंध में लगाये गये समस्त आपूर्ति आदेशों की प्रतियों सत्य है

यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा भविष्य में सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा ऑडिट में अन्यथा पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम
पूर्ण पता
मोहर.
दूरभाष/मोबाईल न.

(मुलाब धन्द
राजस्थान के निविदा)

14

(प्रहलाद सिंह नरसिंह)
राजस्थान के निविदा

राजस्थान के निविदा